वार्षिक प्रतिवेदन

(वित्तीय वर्ष 2008–2009)

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग

चतुर्थ एवं पंचम तल, ''मेट्रो प्लाजा'' बिट्टन मार्केट, भोपाल–462016

फोन–0755–2430154, 2464643, फैक्स– 2430158

वेबसाईट : www.mperc.org

ई–मेल : secmperc@sancharnet.in

विषय सूची

अध्याय	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
1.	कार्यकारी संक्षेपिका	**3–5**
2.	वर्ष 2008–09 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों की मुख्य विशेषताएं	**6–7**
3.	वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान जारी किये गये विनियम / विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन	**8**
4.	उपभोक्ता सेवाएं विनियमों का परिपालन तथा अनुज्ञप्तिधारियों के अनुपालन मानदण्ड	**9–13**
5.	वित्तीय वर्ष 2008–09 का वार्षिक लेखा–जोखा	**14**
	परिशिष्ट –1	**15**
	परिशिष्ट –2	**16–17**
	परिशिष्ट –3 (अ. ब एवं स)	**18–22**
	परिशिष्ट –4	**23**
	परिशिष्ट –5	**24–26**
	परिशिष्ट –6	**27**

अध्याय – 1

कार्यकारी संक्षेपिका

1.1 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (मप्रविनिआ) का गठन विद्युत नियामक आयोग अधिनियम, 1998 के अंतर्गत किया गया। तत्पश्चात् , राज्य शासन द्वारा वर्ष 2001 में विद्युत सुधार अधिनियम पारित किया गया। इसके पश्चात् केन्द्र सरकार द्वारा विद्युत अधिनियम, 2003 अधिनियमित किया गया जो कि विद्युत क्षेत्र से संबंधित एक व्यापक विधान है ।

1.2 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 105 के अनुसार, आयोग से प्रति वर्ष एक बार विगत वर्ष की गतिविधियों के संक्षिप्त विवरण को दर्शाते हुए एक वार्षिक प्रतिवेदन तैयार करने की अपेक्षा की गई है जिसके अनुसार प्रतिवेदन की प्रतिलिपियां राज्य शासन को प्रेषित की जाती हैं तथा प्राप्त होने पर इन्हें राज्य सरकार यथाशीघ्र राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करती है।

1.3 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा तदानुसार वार्षिक प्रतिवेदन तैयार कर इसे राज्य शासन को प्रेषित किया जाता रहा है। यह प्रतिवेदन वर्ष 2008–09 से संबंधित है।

वित्तीय वर्ष 2008–09 की गतिविधियों का सारांश

1.4 मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा इस वर्ष के दौरान खुदरा विद्युत प्रदाय हेतु कोई विद्युत दर (टैरिफ) आदेश जारी नहीं किया गया है। आयोग द्वारा जन सुनवाईयां आयोजित किये जाने तथा विद्युत–दर जारी किये जाने संबंधी विषय को चुनाव आयोग की ओर परामर्श हेतु प्रस्तुत किया गया था, क्योंकि माह मार्च, 2009 के दौरान आचार–संहिता लागू थी। चुनाव आयोग द्वारा दिये गये परामर्श के आधार पर, विद्युत नियामक आयोग द्वारा खुदरा विद्युत दर अवधारण संबंधी कार्यवाही को विलम्बित कर दिया गया । जहां तक उत्पादन तथा पारेषण विद्युत दर (टैरिफ) का संबंध है, वर्ष 2005 के दौरान जारी किये गये इन विनियमों की नियंत्रण अवधि माह मार्च, 2009 में समाप्त हो गई थी। विद्युत अधिनियम, 2003 के उपबंधों के अनुसार राज्य विद्युत नियामक आयोग, केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनिर्दिष्ट, उत्पादन तथा पारेषण टैरिफ के अवधारण संबंधी सिद्धांतों से मार्गदर्शन प्राप्त करता है। दिनांक 31 मार्च, 2009 की अवधि के उपरांत नवीन नियंत्रण अवधि हेतु उत्पादन तथा पारेषण

टैरिफ के अवधारण हेतु निबंधन तथा शर्तें संबंधी विषय पर अंतिम अधिसूचना केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा दिनांक 20 जनवरी, 2009 को जारी की गई थी। केन्द्रीय विद्युत नियामक आयोग द्वारा विनियम पर विचार कर तथा हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) से परामर्श के उपरांत, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग द्वारा अपना विनियम दिनांक 8 मई, 2009 को अधिसूचित तथा प्रकाशित किया गया। इस प्रकार विद्युत उत्पादन कंपनी तथा पारेषण अनुज्ञप्तिधारी की आगामी नियंत्रण अवधि 2009–10 से 2011–12 हेतु टैरिफ याचिका वर्ष 2009–10 में प्रस्तुत की जायेगी।

1.5 आयोग ने विद्युत क्षेत्र की अर्हताओं की आपूर्ति हेतु व परिवर्तनों के साथ कदम से कदम मिलाते हुए तथा हितधारकों (स्टेक होल्डर्स) द्वारा अनुभव की जा रही कठिनाईयों के निराकरण हेतु नवीन विनियम तथा कतिपय विनियमों के संबंध में संशोधन/परिवर्धन जारी किये हैं।

1.6 उपभोक्ताओं के हित संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाये जाने की दृष्टि से, आयोग नियमित रूप से विद्युत कंपनियों के साथ विचारों का आदान–प्रदान करता रहा है। आयोग द्वारा इन विद्युत कंपनियों के उच्चतम प्रबंधन स्तर पर तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ विभिन्न महत्वपूर्ण विषयों पर समीक्षा बैठकों का आयोजन भी किया गया।

1.7 आयोग द्वारा मैदानी स्तर की वास्तविक परिस्थितियों की अद्यतन जानकारी की प्राप्ति हेतु, कई मैदानी दौरे भी किये गये। इनके संक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :

(1) **10–14 अगस्त, 2008** – मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के रीवा, स्थित उपभोक्ता सहायता केन्द्र एवं उपकेन्द्रों तथा मध्यप्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी के चचाई स्थित ताप–विद्युत तथा वाणसागर स्थित जल–विद्युत स्टेशनों का भ्रमण।

(2) **16–19 सितम्बर, 2008**– एनएचडीसी के ओंकारेश्वर तथा इन्दिरा सागर स्थित जल विद्युत स्टेशनों का भ्रमण तथा मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इन्दौर तथा उज्जैन स्थित कार्यालयों में समीक्षा बैठक का आयोजन तथा उनके उज्जैन स्थित कार्यालयों का भ्रमण।

(3) **15–19 अक्टूबर, 2008** – मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के ग्वालियर स्थित कार्यालय तथा मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र कंपनी, मध्यप्रदेश पावर जनरटिंग कंपनी, मध्यप्रदेश ट्रांसमिशन कंपनी तथा मध्यप्रदेश पावर ट्रेडिंग कंपनी के जबलपुर स्थित कार्यालयों का भ्रमण तथा उनके अध्यक्ष सह प्रबंध संचालकों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठकों का आयोजन।

उपरोक्त दौरों के दौरान आयोग द्वारा क्षेत्र के उपभोक्ताओं के साथ–साथ विभिन्न उपभोक्ता संघों के साथ भी विस्तृत चर्चाऐं आयोजित की गईं जिनमें वर्तमान में प्रदान की जा रही सेवाओं के स्तर तथा उनकी आकांक्षाओं के बारे में जानकारी प्राप्त की गई। आयोग द्वारा उपभोक्ता सहायता केन्द्रों का भ्रमण भी किया गया तथा उपभोक्ता केन्द्रों पर प्रदान की जा रही सुविधाओं की समीक्षा भी की गई। कई महत्वपूर्ण विषयों, जैसे कि वितरण हानियों में कमी लाये जाने, संग्रहण दक्षता में सुधार लाये जाने, बकाया राशि की वसूली, अनुपालन मानदण्डों के परिपालन, उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता सहायता व उपभोक्ता जागरूकता के संबंध में प्रचार–प्रसार, आदि विषयों पर विस्तृत चर्चा की गई तथा समुचित दिशा–निर्देश भी जारी किये गये।

1.8 वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान कुल 67 याचिकाऐं, जिसमें 6 स्व–प्रेरणा याचिकाएं सम्मिलित हैं, पंजीकृत की गईं। पूर्व वर्ष की 30 याचिकाएं भी अवशेष थीं। इस प्रकार, कुल 97 याचिकाओं में से कुल 61 याचिकाओं का निराकरण किया गया जबकि अवशेष 36 याचिकाएं निराकरण की प्रक्रिया में हैं।

1.9 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 87 के अंतर्गत राज्य सलाहकार समिति का गठन किया गया है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान, राज्य सलाहकार समिति की दो बैठकों का दिनांक 6.5.2008, तथा दिनांक 24.1.2009 को आयोजन किया गया। टैरिफ के अवधारण, उपभोक्ता हितों के संवर्धन तथा अनुज्ञप्तिधारियों की कार्यकुशलता में सुधार लाये जाने से संबंधित विषयों पर राज्य सलाहकार समिति के सदस्यों से परामर्श प्राप्त किया गया व इन विषयों पर दिये गये परामर्श पर विचार–विमर्श कर निर्णय लिये गये।

आयोग की वर्तमान संरचना

1.10 डॉ. जे.एल. बोस, जो कि राज्य के मुख्य सचिव स्तर के सेवानिवृत अधिकारी हैं, दिनांक 15 फरवरी, 2007 से आयोग के अध्यक्ष पद पर कार्यरत् हैं। श्री के.के. गर्ग, दिनांक 21 जनवरी, 2008 से सदस्य (अभियांत्रिकी) के पद पर कार्यरत् हैं। श्री आर. नटराजन दिनांक 7 मई, 2008 को सदस्य (इकोनॉमिक्स) पद से कार्यमुक्त हुए तथा श्री सी.एस. शर्मा ने दिनांक 9 जुलाई, 2008 को सदस्य (इकॉनामिक्स) का कार्यभार ग्रहण किया। आयोग के सदस्यों का विवरण **परिशिष्ट–1** पर संलग्न है।

अध्याय – 2

वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान जारी किये गये टैरिफ आदेशों की प्रमुख विशेषताएं

2. उत्पादन टैरिफ

2.1 संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन, बिरसिंहपुर के अंतर्गत 1 x 500 मेगावाट विस्तार इकाई का टैरिफ :

आयोग द्वारा इस स्टेशन की 1 x 500 मेगावाट इकाई से उत्पादित अस्थाई ऊर्जा (इन्फर्म पावर) का टैरिफ संबंधी आदेश दिनांक 20 अक्टूबर 2008 को इसकी समकालन (सिंक्रोनाईजेशन) तिथि से दिनांक 6 जनवरी, 2008 तक हेतु पारित किया गया। इस आदेश के अंतर्गत, आयोग द्वारा संजय गांधी ताप विद्युत स्टेशन की बिरसिंहपुर स्थित 500 मेगावाट इकाई के लिए मध्यप्रदेश पावर जनरेशन कंपनी को अस्थाई ऊर्जा (इन्फर्म पावर) हेतु 101.35 पैसे प्रति किलोवाट ऑवर की दर अनुज्ञेय की गई है। अस्थाई ऊर्जा की दर का प्रावधान दिनांक 7 जनवरी, 2008 से इसकी वाणिज्यिक प्रचालन तिथि तक आयोग के आदेश दिनांक 18 जनवरी, 2008 द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है।

2.2 सरदार सरोवर परियोजना (6 x 200 + 5 x 50 मेगावाट) के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के विद्युत के 57 प्रतिशत अंश हेतु उत्पादन टैरिफ (प्रावधिक) का अनुमोदन :

नर्मदाघाटी विकास प्राधिकरण द्वारा सरदार सरोवर परियोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश राज्य के 57 प्रतिशत अंश हेतु उत्पादन टैरिफ (प्रावधिक) के अनुमोदन विषयक दायर की गई पुनरीक्षण याचिका क्रमांक 38/2008 के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 4 मार्च, 2009 को आदेश पारित किया गया। इस आदेश के अंतर्गत आयोग द्वारा रूपांकन ऊर्जा की वसूली दिनांक 16 अगस्त, 2004 (अर्थात् वह तिथि जबकि इसकी प्रथम इकाई क्रियाशील की गई) से दिनांक 31 मार्च, 2007 तक अनुज्ञेय की गई। इस आदेश के अंतर्गत, आयोग द्वारा नहर शीर्ष पावर हाऊस (सीएचपीएच) तथा नदी आधारित पावर हाऊस (आरबीपीएच) से रूपये 111.141 करोड़ की स्थाई लागत की वसूली भी अनुमोदित की गई।

2.3 **लघु जल विद्युत पावर स्टेशनों से उत्पादन टैरिफ का अनुमोदन :**

आयोग द्वारा लघु जल विद्युत पावर स्टेशनों से उत्पादित ऊर्जा संबंधी टैरिफ आदेश दिनांक 30 जून, 2008 को अनुमोदित किया गया। आयोग द्वारा 30 वर्षीय अवधि हेतु नदी बहाव आधारित (रन ऑफ रिवर) तथा नहर आधारित जल विद्युत स्टेशनों हेतु पृथक–पृथक संतुलित (लेवेलाईज्ड) विद्युत दर (टैरिफ) लागू की गई है। टैरिफ आदेश के अंतर्गत, निशुल्क विद्युत हेतु प्रावधान राज्य की नीति के अनुसार किया गया है। दोनों प्रकरणों में संतुलित विद्युत दर स्टेशन क्षमता पर निर्भर करती है अर्थात् 5 मेगावाट तक, 5 मेगावाट से 10 मेगावाट तक तथा 10 मेगावाट से 25 मेगावाट तक। आयोग द्वारा अनुज्ञेय की गई विद्युत की प्रति यूनिट दरें (रूपयों में) निम्नानुसार हैं :

नहर आधारित लघु जल विद्युत पावर स्टेशनों से विद्युत उत्पादन हेतु

प्रथम वर्ष के लिए	5.40
तीसवें वर्ष के लिए	3.36

नहर आधारित लघु जल विद्युत पावर स्टेशनों से विद्युत उत्पादन हेतु (5 मेगावाट तक के)

प्रथम वर्ष के लिए	5.40
तीसवें वर्ष के लिए	3.54

नहर आधारित लघु जल विद्युत पावर स्टेशनों से विद्युत उत्पादन हेतु (5 मेगावाट से अधिक तथा 10 मेगावाट तक के)

प्रथम वर्ष के लिए	5.40
तीसवें वर्ष के लिए	3.65

नहर आधारित लघु जल विद्युत पावर स्टेशनों से विद्युत उत्पादन हेतु (10 मेगावाट से अधिक तथा 25 मेगावाट तक के)

प्रथम वर्ष के लिए	5.40
तीसवें वर्ष के लिए	3.73

अन्य आदेश

2.4 **वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु राज्य भार प्रेषण केन्द्र या स्टेट लोड डेस्पेच सेन्टर (एसएलडीसी) जबलपुर द्वारा शुल्क तथा प्रभारों का उद्ग्रहण तथा संग्रहण**

मध्यप्रदेश राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु उसकी शुल्कों तक प्रभारों के अवधारण हेतु दायर की गई याचिका के संबंध में आयोग द्वारा दिनांक 20.02.2009 को एक आदेश जारी किया गया है। आयोग द्वारा राभाप्रेके हेतु रूपये 523.26 लाख की राशि के दावे के विरूद्ध रूपये 162.78 लाख के प्रभार का अवधारण किया गया है।

अध्याय – 3

वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान जारी किये गये विनियम/विनियमों में संशोधन तथा परिवर्धन

मध्यप्रदेश विद्युत सुधार अधिनियम, 2000 तथा विद्युत अधिनियम, 2003 में निर्दिष्ट किया गया है कि आयोग, अधिसूचना जारी कर, इन अधिनियमों के उपबंधों के अनुसार अधिनियमों के उपबंधों के परिपालन हेतु सुसंगत विनियम बना सकेगा । तद्नुसार, आयोग द्वारा समय–समय पर विनियम जारी किये गये हैं तथा इस संबंध में उपरोक्त दर्शाये गये अधिनियमों में उपलब्ध लगभग समस्त उपबंधों को सम्मिलित कर लिया गया है । वर्ष 2008–09 के दौरान विनियमों तथा विनियमों के संशोधनों तथा परिवर्धनों की सूची **परिशिष्ट – 2** में संलग्न है ।

अध्याय – 4

अनुज्ञप्तिधारियों की उपभोक्ता सेवाएं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्ड

4.1 प्रतिवेदन की विचाराधीन अवधि में, आयोग ने उपभोक्ता सशक्तिकरण की दिशा में उपभोक्ताओं द्वारा उनके अधिकारों के प्रयोग तथा समग्र विकास हेतु उपभोक्ताओं को उनके दायित्वों के प्रति जागरूकता लाये जाने के संबंध में पहल की है। अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा उपभोक्ता सेवाओं, विनियामक परिपालन तथा अनुपालन मानदण्डों से संबंधित विषयों पर की गई पहल एवं इनका अनुवीक्षण जो कि वर्ष के दौरान किया गया है, का संक्षिप्त विवरण निम्न परिच्छेदों में दिया गया है :

अनुपालन मानदण्ड

4.2 आयोग द्वारा अनुपालन मानदण्डों संबंधी विनियम विनिर्दिष्ट किये गये हैं जिनका अनुसरण विद्युत वितरण कंपनियों तथा ट्रांसमीशन (पारेषण) कंपनी द्वारा किया जाना है। आयोग द्वारा समस्त प्रचालनीय मानदण्ड, जिनका अनुसरण राज्य के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा वर्ष के दौरान किया गया है, का अनुवीक्षण किया गया है तथा आयोग की अनुज्ञप्तिधारियों से निरंतर संवाद की प्रक्रिया जारी है ताकि जहां–जहां आवश्यकता हो इनमें वांछित सुधार किया जा सके। इन प्रचालनीय अनुपालन मानदण्डों में सम्मिलित है, फ्यूज ऑफ कॉल का निवारण, उपभोक्ता को विद्युत प्रदाय की त्रुटि में सुधार, मीटर (मापयंत्र) शिकायतें, बिलिंग में त्रुटियां, खराब मीटरों/ ट्रांसफामरों को बदलने, उपभोक्ता शिकायतों के निपटान आदि हेतु विनिर्दिष्ट की गई समय सीमाएं। इन विनियमों में कंपनियों द्वारा प्रदाय की गई सेवाओं में होने वाले विलंब के कारण उपभोक्ताओं को भुगतान–योग्य क्षतिपूर्ति को भी विनिर्दिष्ट किया गया है।

4.3 आयोग ने उपभोक्ताओं के हितों के संरक्षण तथा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाये जाने बाबत् कई कदम उठाने में उसके द्वारा पहल की गई है। इनमें से कुछ का विवरण निम्नानुसार दर्शाया गया है :–

(1) **उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ का गठन :–** विद्युत सुधारों के उद्देश्यों में से एक उपभोक्ताओं के हितों का संरक्षण किया जाना है। उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण को गति प्रदान किये जाने की सुविधा हेतु, आयोग द्वारा उपभोक्ता सहायता प्रकोष्ठ का गठन किये जाने की पहल की गई। विद्युत उपभोक्ता सहायता हेतु एक प्रकोष्ठ की स्थापना आयेाग के परामर्शदाता के पर्यवेक्षण के अंतर्गत दिनांक 15 मई, 2008 को की गई।

(2) **केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों की स्थापना :–** आयोग द्वारा की गई पहल पर, वितरण अनुज्ञप्तिधारियों ने इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में केन्द्रीय शिकायत निवारण केन्द्रों (काल सेंटर्स) की स्थापना की है। ये शिकायत निवारण केन्द्र चौबीस घंटे कार्यरत् हैं तथा उपभोक्ताओं हेतु निरंतर सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं जिसमें इन शहरों से वैबसाईट के माध्यम से शिकायतों का ऑनलाईन पंजीकरण किया जाना भी सम्मिलित है।

(3) **उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम :–** विद्युत उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरमों की स्थापना माह अक्टूबर/नवंबर, 2004 में की गई थी। राज्य में तीन विद्युत वितरण कंपनियां कार्यरत् हैं तथा प्रत्येक वितरण कंपनी ने एक–एक फोरम की स्थापना की है। इन फोरमों के मुख्यालय इंदौर, भोपाल तथा जबलपुर में स्थित है। इन फोरमों द्वारा, शिकायतों के निपटान हेतु परिवेदित उपभोक्ताओं की सुविधा के लिए विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारी के कार्य क्षेत्र में स्थित विभिन्न अन्य स्थानों पर भी सुनवाईयां आयोजित की जाती हैं। भारत सरकार, विद्युत मंत्रालय की अधिसूचना के अनुसार इन फोरमों का पुनर्गठन दिनांक 1 जनवरी, 2008 से प्रभावशील किया गया है। वर्ष के दौरान फोरमों द्वारा शिकायतों के निवारण संबंधी विवरण परिशिष्ट–3(अ), 3(ब) तथा 3(स) में दर्शाये गये हैं।

(4) **फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निवारण की स्थिति की ऑनलाईन समीक्षा :–** वर्ष 2008 से, शिकायतकर्ताओं को उनके द्वारा फोरम स्तर पर दर्ज की गई शिकायतों के निवारण की स्थिति का अवलोकन किये जाने बाबत् ऑनलाईन सुविधा उपलब्ध कराई गई है। शिकायत निवारण की वस्तुस्थिति का अवलोकन इंटरनेट के माध्यम से आयोग की वैबसाईट पर किया जा सकता है।

(5) **विद्युत लोकपाल :–** विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 42(6) के उपबंध की अर्हता के अनुसार, विद्युत लोकपाल की नियुक्ति की जा चुकी है तथा वर्तमान में वह क्रियाशील है। वे शिकायतकर्ता जो फोरम द्वारा पारित निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, विद्युत लोकपाल को अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं। वर्ष के दौरान प्राप्त किये गये तथा निराकरण किये गये प्रकरणों के

विवरण **परिशिष्ट–4** पर दर्शाए गये हैं। विद्युत लोकपाल द्वारा छमाही प्रतिवेदन तैयार किये जाते हैं तथा ये राज्य शासन तथा आयोग को प्रस्तुत किये जाते हैं। विद्युत लोकपाल द्वारा वर्ष 2008–09 हेतु छमाही प्रतिवेदन दिनांक 16–10–2008 तथा 20–4–2009 को प्रस्तुत किये जा चुके हैं।

(6) **उपभोक्ता संबंधी विषयों पर गैर–शासकीय संगठनों (एनजीओ) को संबद्ध किया जाना :–** आयोग के मतानुसार उपभोक्ता हितों के संरक्षण में गैर–शासकीय संस्थाओं को सन्निहित किया जाना /उनकी सहायता प्राप्त किया जाना काफी सहायक सिद्ध होगा। अतएव, आयोग ने एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से उपभोक्ताओं के संरक्षण हेतु गैर शासकीय संस्थाओं को अभियान में भाग लेने हेतु आमंत्रित किया था। अभी तक लगभग 125 गैर–शासकीय संस्थाओं का पंजीकरण आयोग द्वारा किया जा चुका है। आयोग द्वारा प्रति वर्ष एक सार्वजनिक सूचना के माध्यम से गैर–शासकीय संस्थाओं को वितरण अनुज्ञप्तिधारियों की सम्पूर्ण राजस्व आवश्यकता तथा टैरिफ के अवधारण की सुनवाई के दौरान उन्हें उपभोक्ताओं की ओर से उनके विचार/सुझाव प्रस्तुत किये जाने बाबत् आमंत्रित किया जाता है।

इसके पूर्व माह अगस्त, 2008 में गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु ''उपभोक्ता सशक्तिकरण'' विषय पर एक कार्यशाला का आयोजन किया गया। गैर–शासकीय संस्थाओं के उपभोक्ता को सेवाऐं प्राप्त करने के लिए अधिकारों बाबत्, उपभोक्ता अधिकारों से संबंधित सुसंबद्ध जानकारी/विनियम प्रदान किये गये तथा उन्हें उनके कार्यक्षेत्र में उपभोक्ताओं के बीच इनका प्रचार–प्रसार किये जाने का भी अनुरोध किया गया।

(7) **देयक–भुगतान की सरल सुविधा :–** आयोग प्रारंभ से ही विद्युत वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को विद्युत देयकों के भुगतान हेतु उपभोक्ताओं की सुविधाओं में वृद्धि किये जाने हेतु आग्रह करता रहा है। मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के क्षेत्र में ''किसी भी समय भुगतान (एटीपी)'' में पटलों के माध्यम से, 43 स्थानों पर देयक भुगतान सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है । ऐसे 9 पटल जबलपुर में, 4 पटल रीवा में तथा 3 पटल सागर में स्थापित किये गये हैं। उपभोक्तागण इन पटलों पर बिना किसी असुविधा तथा बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के, किसी भी समय अपने देयकों का भुगतान कर सकते हैं।

उपरोक्त सुविधा के अतिरिक्त, मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के जबलपुर शहर के 13 पटलों पर ''कहीं भी भुगतान'' सुविधा प्रारंभ की जा चुकी है। इस योजना के अंतर्गत, किसी भी उपभोक्ता का संयोजन शहर में किसी भी स्थान पर होने के बावजूद, वह

अपने देयक का भुगतान निर्धारित पटलों में से किसी एक पटल पर कर सकता है। इसके अतिरिक्त, जबलपुर तथा कटनी शहरों में भी एमपी ऑनलाईन के इन्टरनेट/गुमठियों (किओस्क) के माध्यम से भी देयकों के भुगतान संबंधी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के भोपाल शहर तथा भोपाल (संचालन तथा प्रचालन) वृत्तों के अंतर्गत 22 संग्रहण केन्द्रों पर भी ''कहीं भी भुगतान'' सुविधा उपलब्ध कराई जा चुकी है। इसके अतिरिक्त, एमपी ऑनलाईन/गुमठियों के माध्यम से कंपनी के भोपाल शहर तथा भोपाल (संचालन तथा संधारण) वृत्तों के अंतर्गत देयकों के भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है।

पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के इन्दौर शहर के चार संग्रहण केन्द्रों में ''कहीं भी भुगतान'' सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

आयोग ने विद्युत वितरण कंपनियों को, संग्रहण केन्द्रों पर उचित सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने संबंधी निर्देश भी जारी किये हैं।

(8) **तत्काल (स्पाट) बिलिंग :–** आयेाग की पहल पर, उपभोक्ताओं की मीटर वाचन तथा बिलिंग संबंधी शिकायतों में कमी लाये जाने की दृष्टि से, तीनों विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा तत्काल बिलिंग (स्पाट बिलिंग) प्रारंभ किये जाने हेतु अपनी सहमति प्रकट की गई है।

यह योजना भोपाल शहर में प्रारंभ की जा चुकी है तथा अन्य विद्युत वितरण कंपनियों द्वारा भी इस योजना को शीघ्र प्रारंभ किये जाने की संभावना है।

(9) **आयोग द्वारा आयोजित कार्यशालाएं :–** वर्ष के दौरान, आयोग द्वारा दो कार्यशालाओं का आयोजन किया गया :

(अ) विद्युत–दर (टैरिफ) अवधारण संबंधी पद्धति पर एक कार्यशाला दिनांक 5 जुलाई, 2008 को आयोजित की गई।

(ब) राज्य में कार्यरत् गैर–शासकीय संस्थाओं हेतु ''उपभोक्ता सशक्तिकरण'' विषय पर दिनांक 5 अगस्त, 2008 को एक कार्यशाला का आयोजन किया गया।

इन कार्यशालाओं का उद्‌देश्य, विभिन्न हितधारकों के मध्य विचारों के आदान–प्रदान हेतु एक मंच प्रदान करना है जिससे विद्युत वितरण कंपनियों की प्रचालन कार्यकुशलता, क्षमता निर्माण तथा उपभोक्ता सेवाओं में सुधार लाये जाने हेतु सुस्थिर एवं बेहतर कार्यप्रणाली संबंधी जानकारी प्राप्त कर तथा इसे अपनाया जाकर प्रयोग में लाया जा सके।

(10) **न्यूजलेटर का प्रकाशन :–** आयोग द्वारा न्यूजलेटर का प्रकाशन जारी है। वर्ष के दौरान, दो अंकों का प्रकाशन किया गया है।

(11) **उपभोक्ता अधिकार–पत्र (कंज्यूमर चार्टर) :–**आयोग द्वारा एक उपभोक्ता अधिकार–पत्र(कंज्यूमर चार्टर) जारी किया गया है जिसे वितरण अधिकारियों के वितरण केन्द्रों, मैदानी कार्यालयों तथा निगमित कार्यालयों में प्रदर्शित किया गया है। इस प्रयोजन से, आयोग द्वारा उपभोक्ता अधिकार पत्र की पर्याप्त प्रतियां वितरण अनुज्ञप्तिधारियों को भी उपलब्ध करा दी गई हैं।

4.4 **विनियमन परिपालन :–** आयोग द्वारा विनियमन परिपालन पर विनियम जारी किये गये हैं, जिनके अंतर्गत, अनुज्ञप्तिधारियों को परिपालन के प्रतिवेदक अधिकारी, जो कि आयोग के साथ नियमित आधार पर विचार–विमर्श करेंगे तथा जो विनियमन परिपालन सबंधी विषयों पर नियमित रूप से प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे, नियुक्त किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। आयोग विभिन्न विनियमों के अंतर्गत प्रदत्त दिशा–निर्देशों से संबंधित परिपालन की अद्यतन स्थिति की नियतकालिक रूप से समीक्षा करता रहा है तथा विनियमन परिपालन में सुधार लाये जाने की दृष्टि से इस हेतु अग्रिम कदम भी उठाता रहा है। वर्ष के दौरान, वित्तीय वर्ष 2007–08 हेतु वार्षिक समीक्षा तथा माह अप्रैल से सितंबर, 2008 की छमाही समीक्षा की गई। आयोग द्वारा आगे और सुधार लाये जाने की दृष्टि से विद्युत वितरण कंपनियों को आयोग की अभ्युक्तियां/ दिशा–निर्देश प्रेषित किये जा चुके हैं। ये प्रतिवेदन आयोग की वैबसाईट पर प्रदर्शित किये गये हैं।

अध्याय : 5

वित्तीय वर्ष 2008–09 हेतु आयोग का वार्षिक लेखा

5.1 विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 103 के उपबंधों के अनुसार, मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग कोष स्थापित किया जा चुका है, जिसमें विभिन्न आय शीर्षों के अंतर्गत रूपये 2,79,52,374/– की आय प्राप्त हुई है। वित्तीय वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न शीर्षो के अंतर्गत राजस्व व्यय रूपये 2,30,28,820/– तथा पूंजीगत व्यय रूपये 11,44,070/– हुआ है। विवरण **परिशिष्ट –5** में संलग्न हैं तथा लेखा पर एक टिप्पणी **परिशिष्ट–6** में संलग्न है।

परिशिष्ट – 1

आयोग के वर्तमान अध्यक्ष तथा आयोग के सदस्यों के विवरण

सरल क्र.	नाम	पदनाम	कार्य ग्रहण तिथि	कार्यकाल समापन की तिथि
1	डॉ. जे.एल. बोस	अध्यक्ष	15.02.2007	11.01.2010
2.	श्री के.के. गर्ग	सदस्य (अभियांत्रिकी)	21.01.2008	10.12.2011
3	श्री सी.एस. शर्मा	सदस्य (इकोनामिक्स)	09.07.2008	08.07.2013

परिशिष्ट – 2

दिनांक 01.04.2008 से दिनांक 31.03.2009 तक अधिसूचित किये गये विनियमों की सूची

स. क्र.	अंतिम विनियम	अधिसूचना क्रमांक	जारी करने की दिनांक	अधिसूचना दिनांक	विनियम क्रमांक
1	मप्रविनिआ (उपभोक्ताओं की शिकायतों के निराकरण हेतु फोरम तथा विद्युत लोकपाल की स्थापना) विनियम, 2004 (चतुर्थ संशोधन)	1179	03-06-08	06-06-08	एजी-3(iv), वर्ष 2008
2	मप्रविनिआ (शुल्क, अर्थदण्ड एवं प्रभार) विनियम, 2005 (द्वितीय संशोधन)	1580	18-07-08	25-07-08	एजी-21(ii), वर्ष 2008
3	मप्रविनिआ (प्रतिभूति निक्षेप) विनियम, 2004 (पंचम संशोधन)	1689	04-08-08	15-08-08	एजी-17(v), वर्ष 2008
4	मप्रविनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) विनियम, 2004 (छटवां संशोधन)	1717	06-08-08	22-08-08	एजी-6(vi), वर्ष 2008
5	मप्रविनिआ {ऊर्जा के नवीकरणीय (अक्षय) स्त्रोतों से विद्युत सह–उत्पादन तथा उत्पादन}, विनियम, 2008	2261	22-10-08	07-11-08	जी-33, वर्ष 2008
6	मप्रविनिआ (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कंपनियों के कार्य निष्पादन–अनुवीक्षण) विनियम, 2004 (प्रथम संशोधन)	2323	31-10-08	14-11-08	एजी-2(i), वर्ष 2008
7	मध्यप्रदेश विद्युत ग्रिड संहिता (पुनरीक्षण प्रथम), 2005 (चतुर्थ संशोधन)	2478	11-11-08	05-12-08	ए{आरजी-14(I)(iv)}, वर्ष 2008
8	अधिसूचना क्रमांक 2323 दिनांक 31.10.2008 द्वारा जारी मप्रविनिआ (अनुज्ञप्तिधारियों तथा उत्पादन कंपनियों के कार्य निष्पादन–अनुवीक्षण) विनियम का शुद्धिपत्र	2647	06-12-08	12-12-08	एजी-2(i), वर्ष 2008
9	मप्रविनिआ (टैरिफ निर्धारण के लिए उत्पादन कंपनियों और अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा दिये जाने वाला विवरण) विनियम, 2004 में तृतीय संशोधन	2754	19-12-08	02-01-09	एजी-13(iii), वर्ष 2008

10	मप्रविनिआ (राज्य भार प्रेषण केन्द्र द्वारा शुल्क एवं प्रभारों का उद्ग्रहण एवं संग्रहण) विनियम, 2004 (पुनरीक्षण प्रथम), 2006	2778	26-12-08	09-01-09	एआरजी-16(i), वर्ष 2008
11	मध्यप्रदेश विद्युत वितरण संहिता (द्वितीय संशोधन), 2006	75	07-01-09	23-01-09	एजी-29(ii), वर्ष 2009
12	मप्रविनिआ (परामर्शी की नियुक्ति) (पुनरीक्षण प्रथम) विनियम, 2009	128	16-01-09	30-01-09	आरजी-6(I), वर्ष 2009
13	मप्रविनिआ (पारम्परिक ईंधन आधारित कैप्टिव विद्युत संयत्रों के विद्युत क्रय तथा अन्य विषयों से संबंधित) विनियम (पुनरीक्षण प्रथम), 2009	254	31-01-09	20-02-09	आरजी-30(I), वर्ष 2009

परिशिष्ट 3(अ)

वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

सरल क्रमांक	जिला	लंबित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या	निराकरण किये गये प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.3.09 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**ग्वालियर**	19	38	54	3
2	शिवपुरी	0	1	1	0
3	गुना	1	3	4	0
4	मुरैना	5	7	11	1
5	श्योपुर	1	0	1	0
6	दतिया	0	2	1	1
7	भिण्ड	2	3	4	1
8	अशोकनगर	0	1	1	0
	योग	**28**	**55**	**77**	**6**

सरल क्रमांक	जिला	लंबित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या	निराकरण किये गये प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.3.09 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**भोपाल**	3	29	27	5
2	विदिशा	1	6	7	0
3	होशंगाबदा	4	6	9	1
4	बैतूल	2	1	3	0
5	राजगढ़	0	0	0	0
6	सीहोर	3	6	7	2
7	रायसेन	1	5	4	2
8	हरदा	2	20	20	2
	योग	**16**	**73**	**77**	**12**

ग्वालियर क्षेत्र हेतु योग	**28**	**55**	**77**	**6**
भोपाल क्षेत्र हेतु योग	**16**	**73**	**77**	**12**
मध्य क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु महायोग	**44**	**128**	**154**	**18**

परिशिष्ट 3(ब)

वर्ष 2008–09 हेतु मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

सरल क्रमांक	जिला	लंबित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या	निराकरण किये गये प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.3.09 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**इंदौर**	15	132	107	40
2	धार	4	22	17	9
3	खरगौन	3	41	43	1
4	बड़वानी	0	17	17	0
5	खण्डवा	0	13	8	5
6	बुरहानपुर	30	130	124	36
7	झाबुआ	0	29	27	2
8	अलीराजपुर	0	16	6	10
	योग	**52**	**400**	**349**	**103**

सरल क्रमांक	जिला	लंबित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या	निराकरण किये गये प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.3.09 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**उज्जैन**	4	35	34	5
2	रतलाम	1	11	10	2
3	मंदसौर	6	46	51	1
4	नीमच	0	16	16	0
5	देवास	3	31	32	2
6	शाजापुर	0	5	2	3
	योग	**14**	**144**	**145**	**13**

इन्दौर क्षेत्र हेतु योग	**52**	**400**	**349**	**103**
उज्जैन क्षेत्र हेतु योग	**14**	**144**	**145**	**13**
पश्चिम क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु महायोग	**66**	**544**	**494**	**116**

वर्ष 2008–09 मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी, भोपाल के विद्युत शिकायत निवारण फोरम के संबंध में जिलावार आवेदन तथा निराकरण की जिलावार अद्यतन स्थिति

सरल क्रमांक	जिला	लंबित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या	निराकरण किये गये प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.3.09 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**
1	**जबलपुर**	-	74	63	11
2	कटनी	-	48	8	40
3	मण्डला	-	3	3	-
4	डिण्डोरी	-	2	1	1
5	नरसिंहपुर	-	18	11	7
6	सिवनी	18	42	43	17
7	बालाघाट	6	10	16	-
8	छिंदवाड़ा	2	20	8	14
	योग	**26**	**217**	**153**	**90**

सरल क्रमांक	जिला	लंबित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या	निराकरण किये गये प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.3.09 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**2**	3	4	5	6
1	**रीवा**	9	27	32	4
2	सतना	16	189	126	79
3	सीधी	1	1	2	-
4	शहडोल	-	3	3	-
5	उमरिया	-	4	3	1
6	अनूपपुर	-	5	5	-
7	सिंगरोली	-	1	-	1
	योग	**26**	**230**	**171**	**85**

सरल क्रमांक	जिला	लंबित प्रकरणों की संख्या	प्राप्त किये गये आवेदनों की संख्या	निराकरण किये गये प्रकरणों की संख्या	दिनांक 31.3.09 की स्थिति में लंबित प्रकरणों की संख्या
1	**2**	3	4	5	6
1	**सागर**	1	48	48	1
2	दमोह	-	6	5	1
3	छतरपुर	12	28	39	1
4	पन्ना	2	5	6	1
5	टीकमगढ़	-	18	2	16
	योग	**15**	**105**	**100**	**20**

जबलपुर क्षेत्र हेतु योग	**26**	**217**	**153**	**90**
रीवा क्षेत्र हेतु योग	**26**	**230**	**171**	**85**
सागर क्षेत्र हेतु योग	**15**	**105**	**100**	**20**
पूर्व क्षेत्र वि.वि.कं. हेतु महायोग	**67**	**552**	**424**	**195**

परिशिष्ट 4

विद्युत लोकपाल के समक्ष शिकायतों के प्रकरणों की अद्यतन स्थिति
प्रगति प्रतिवेदन (दिनांक 1 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2009 तक)

स. क्र.	शिकायत का प्रकार	अवधि के प्रारंभ में लंबित	अवधि के दौरान प्राप्त की गई	अवधि के दौरान निराकृत की गई	एक माह से कम की अवधि से लंबित	एक माह से अधिक परन्तु तीन माह तक लंबित	तीन माह से अधिक परन्तु छः माह तक लंबित	छः माह से अधिक अवधि से लंबित	कुल लंबित प्रकरणों की संख्या
1	विद्युत प्रदाय में अवरोध संबंधी	1	0	1	0	0	0	0	0
2	वोल्टेज संबंधी	0	0	0	0	0	0	0	0
3	भार कम करने/अनुसूचित अवरोध (लोड शेडिंग/ शेड्यूल्ड आऊटेज) संबंधी	0	0	0	0	0	0	0	0
4	मीटर संबंधी	3	8	8	1	2	0	0	3
5	विद्युत देयक संबंधी	20	22	32	3	4	1	2	10
6	विद्युत प्रदाय के संयोजन विच्छेद तथा पुनर्संयोजन संबंधी	3	2	5	0	0	0	0	0
7	नवीन संयोजन में विलंब संबंधी	0	1	1	0	0	0	0	0
8	अन्य शिकायतें, जैसे कि क्षति, भार /मांग में कमी/वृद्धि की जाना अथवा प्रतिभूति निक्षेप पर ब्याज का भुगतान नहीं किया जाना, आदि	14	17	30	0	1	0	0	1
योग		**41**	**50**	**77**	**4**	**7**	**1**	**2**	**14**

परिशिष्ट–5

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल

वित्तीय वर्ष 2008–09 की प्राप्तियॉ तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र

स.क्र.	प्राप्तियां	राशि (रुपये)
ए	**प्रारंभिक शेष**	
1	नगद एवं बैंक में	17701341.00
2	आई.सी.आई.सी.आई बैंक में सावधि जमा राशि	54891584.00
3	स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद में सावधि जमा राशि	40000000.00
	योग (ए)	**112592925.00**
बी	**आय**	
1	याचिका शुल्क	19365166.00
2	विविध प्राप्तियां	31550.00
3	सत्यापित प्रति शुल्क	660.00
4	बैंक से प्राप्त ब्याज	8491123.94
5	वाहन किराया	8500.00
6	निविदा प्रपत्रों का विक्रय	43000.00
7	समाचार पत्रों की रद्दी का विक्रय	12375.00
	योग आय (बी)	**27952374.94**
सी	**प्रतिभूति निक्षेप**	
1	प्रतिभूति निक्षेप	22737.00
2	धरोहर राशि	189000.00
3	कर्मचारियों से अग्रिम राशि की वापसी	2514.00
	योग आय (सी)	**214251.00**
	कुल प्राप्तियॉ (ए+बी+सी)	**140759550.94**

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग, भोपाल
वित्तीय वर्ष 2008–09 की प्राप्तियॉ तथा भुगतान संबंधी लेखे का विवरण पत्र

स.क्र.	भुगतान शीर्ष	राशि (रुपये)
डी	व्यय	
1	अवकाश यात्रा सुविधा	186619.00
2	अध्यक्ष तथा सदस्यों का वेतन	2083900.00
3	अधिकारियों का वेतन	7969460.00
4	तृतीय वर्ग के कर्मचारियों का वेतन	2467834.00
5	चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का वेतन	1768439.00
6	मानदेय राशि	210500.00
7	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	133220.00
8	मजदूरी व्यय	118800.00
9	यात्रा व्यय	1356049.00
10	डाक एवं तार व्यय	54743.00
11	दूरभाष व्यय	626230.00
12	समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं	196278.00
13	मुद्रण एवं स्टेशनरी	558247.00
14	विद्युत एवं जल प्रदाय पर व्यय	872642.00
15	सेमिनार एवं सम्मेलन	647384.00
16	व्यवसायिक सेवाएं	588771.00
17	अनुरक्षण व्यय	383391.00
18	पुस्तकें एवं प्रकाशन	94261.00
19	विज्ञापन और प्रकाशन एवं प्रसार	1235260.00
20	पेट्रोल, तेल एवं लुब्रिकेंट	355465.00
21	कर्मचारी कल्याण	29376.00
22	वर्दियां	58557.00
23	किराया दर एवं कर	365311.00
24	परीक्षा एवं प्रशिक्षण	91731.00
25	लीगल चार्जेस	226642.00
26	बैंक कमीशन एवं चार्जेस	1096.00

स.क्र.	भुगतान शीर्ष	राशि (रुपये)
27	मटेरियल एवं सप्लाईज	5324.00
28	विविध व्यय	54239.00
29	कर्मचारी भविष्य निधि अंशदान	153100.00
30	अधिकारी भविष्य निधि अंशदान	125951.00
31	अंकेक्षण फीस	10000.00
	कुल व्यय (डी)	**23028820.00**
ई	**स्थाई परिसंपतियों का क्रय**	
1	कार्यालय भवन (मेट्रो प्लाजा) हेतु भुगतान	757009.00
2	फर्नीचर एवं कार्यालय उपकरण	73920.00
3	कम्प्यूटर	59280.00
	अन्य मशीनरी	253861.00
	योग (ई)	**1144070.00**
एफ	**अग्रिम**	
1	यात्रा अग्रिम	32552.00
2	कर्मचारियों को अग्रिम	10050.00
3	इंप्रेस्ट	20000.00
	योग (एफ)	**62602.00**
जी	**सुरक्षा निधि जमा**	
1	सुरक्षा निधि	15000.00
	योग (जी)	**15000.00**
एच	**अंतिम शेष**	
1	नगद तथा बैंक में जमा	2046678.94
2	आई.सी.आई.सी.आई बैक में सावधि जमा राशि	37962380.00
3	स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर और जयपुर में सावधि जमा राशि	59500000.00
4	स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सावधि जमा राशि	5000000.00
5	स्टेट बैंक ऑफ इंदौर में सावधि जमा राशि	12000000.00
	योग (एच)	116509058.94
	कुल भुगतान (डी+ई+एफ+जी+एच)	**140759550.94**

परिशिष्ट–6

आयोग के लेखों को एकल प्रविष्टि प्रणाली (सिंगल एन्ट्री सिस्टम) से द्वि प्रविष्टि प्रणाली (डबल एन्ट्री सिस्टम) में परिवर्तन करने के संबंध में

मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग कार्यालय का माह दिसंबर 2008 में महालेखाकार ग्वालियर के अंकेक्षण दल द्वारा व्यवहार अंकेक्षण (Transaction Audit) किया गया था। आयोग के आडिट के पश्चात्, महालेखाकार ग्वालियर द्वारा माह जून 2009 में आयोग को यह सूचित किया गया कि महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयोग को अपने पूर्व के लेखे (वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–04 तक के) जिनका कि संधारण कोषालय के नियमानुसार एकल–प्रविष्टि प्रणाली (सिंगल एन्ट्री सिस्टम) में रखा गया है, उनको द्वि–प्रविष्टि प्रणाली (डबल एन्ट्री सिस्टम) में परिवर्तित कराना होगा। शासन द्वारा आयोग के लेखों को द्वि–प्रविष्टि प्रणाली में रखने हेतु प्ररूप ''मध्यप्रदेश विद्युत नियामक आयोग (राज्य आयोग के वार्षिक लेखे के प्ररूप एवं समयावधि) नियम, 2008'' माह सितंबर 2008 में निर्धारण कर अधिसूचित किये गये हैं।

अतः भारत के महालेखापरीक्षक, नई दिल्ली के निर्देशानुसार आयोग के वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–04 तक के लेखों को एकल प्रविष्टि प्रणाली से द्वि–प्रविष्टि प्रणाली में परिवर्तित किये जाने की कार्यवाही की जा रही है। यह कार्य पूर्ण होते ही आयोग के वर्ष 1999–2000 से वर्ष 2003–04 तक के संशोधित लेखे ''भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक'' भारत सरकार–नई दिल्ली को आगामी कार्यवाही के लिए भेजे जाएंगे ।

——————